

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2024—श्रावण 3, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2024

क्र. एफ-24-01-2022-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही. पी. एस. चौहान, सेवानिवृत्त, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-1-2022-एक-10, दिनांक 20 फरवरी 2024 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द "22 जून 2024 तक" के स्थान पर, शब्द "22 दिसम्बर 2024 तक" प्रति स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, उपसचिव.